

राजनीतिका अपराधीकरण

प्रलिस के लयः

जनप्रतनधलतल अधनलयम, राजनीतलका अपराधीकरण ।

मेन्स के लयः

राजनीतलके अपराधीकरण के कारण, प्रभाव और समाधान ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के दो वधलयकों को आपराधकल आरोपों में दोषी ठहरायल गयल थल, लेकनल उनमें से केवल एक को अयोग्य घोषतल कयल गयल है और उसकी सीट को राज्य के वधलयनसभल सचवललय द्वारा रकलत घोषतल कयल गयल है ।

राजनीतलका अपराधीकरणः

परचलयः

- इसकल अर्थ राजनीतलमें अपराधयलं की भागीदारी से है, जसलमें अपराधी चुनलव लड़ सकते हैं और संसद तथल राज्य वधलयकल के सदस्य के रूप में चुने जल सकते हैं ।
- यह मुख्य रूप से राजनेतलओं और अपराधयलं के बीच साँटगाँठ के कारण होतल है ।

आपराधकल छवके उम्मीदवारों की अयोग्यतल के कानूनी पहलूः

- भारतीय संवधलयन में संसद यल वधलयनमंडल कल चुनलव लड़ने वलले कसलं आपराधकल प्रवृत्तलके वयकतलकी अयोग्यतल के वषलय में उपबंध नहीं कयल गयल है ।
- **लोक प्रतनधलतल अधनलयम, 1951** में वधलयनमंडल कल चुनलव लड़ने के लयले कसलं वयकतलको अयोग्य घोषतल करने के मानदंडों कल उल्लेख है ।
 - इस अधनलयम की धलरल 8 (अर्थलत कुछ अपराधों के लयले दोषसदलधलके संबंध में अयोग्यतल) के तहत दो सलल से अधकल की जेल की सज़ल पाने वलल वयकतल जेल की अवधल समाप्त होने के बलद छह सलल तक चुनलव नहीं लड़ सकतल है ।
- **अयोग्यतल के खलललफ संरकषणः**
 - RPA की धलरल 8(4) के तहत वर्ष 2013 तक वधलयनमंडल सदस्य तत्कलल अयोग्यतल से बच सकते थे ।
 - इस प्रलवधलन के अनुसार, संसद यल राज्य वधलयनमंडल के सदस्य तीन महीने के लयले अयोग्य नहीं होंगे ।
 - यदल इस अवधलके दौरान दोषी वधलयनमंडल सदस्य अपील यल पुनरीकषण आवेदन करतल है, तो अपील के नपलटारे तक यह प्रभावी नहीं होगल ।
 - वर्ष 2013 में 'ललली थॉमस बनलम यूनलयन ऑफ इंडयल' के मलमले में सर्वोच्च न्यलयलयल ने धलरल 8(4) को असंवैधलनकल ठहरल कर इसे नरलसूत कर दयल थल ।
 - आरपीए की धलरल 8(4) के तहत वधलयक वर्ष 2013 तक तत्कलल अयोग्यतल से बच सकते हैं ।
 - प्रलवधलन के अनुसार संसद सदस्य यल राज्य के वधलयक तीन महीने के लयले अयोग्य नहीं होंगे ।
 - यदल इस अवधलके भीतर दोषी वधलयक अपील यल पुनरीकषण आवेदन दलयर करतल है, तो यह अपील यल आवेदन के नपलटारे तक प्रभावी नहीं होगल ।
 - ललली थॉमस बनलम भरत संघ, 2013 में सर्वोच्च न्यलयलयल ने खंड (4) को असंवैधलनकल करलर दयल, इस प्रकार संसदों द्वारा प्रलप्त सुरकषल को हटल दयल गयल ।
- **सर्वोच्च न्यलयलयल की संबंधतल शकतलः**
 - सुप्रीम कोर्ट के पलस न केवल सज़ल देने बलकल कसलं वयकतलकी दोषसदलधलपर भी रोक लगाने की शकतल है । कुछ दुर्लभ मलमलों में अपीलकरतलतल को चुनलव लड़ने में सकषम बनाने के लयले दोषसदलधलपर रोक लगलई गई है ।
 - हलललँकल सर्वोच्च न्यलयलयल ने यह स्पष्ट कर दयल है कल इस तरह की रोक बहुत दुर्लभ और वशलष कारणों से होनी चलहयल । आरपीए स्वयं

चुनाव आयोग (EC) के माध्यम से एक उपाय प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 11 के तहत चुनाव आयोग कारणों को रिकॉर्ड कर सकता है और किसी व्यक्ति की अयोग्यता की अवधि को हटा सकता है या कम कर सकता है।

■ **राजनीति के अपराधीकरण का कारण:**

- **प्रवर्तन की कमी:** कानूनों और नरिणयों के प्रवर्तन की कमी के कारण कई कानूनों और न्यायालयी नरिणयों ने ज़्यादा मदद नहीं की है।
- **नहिती स्वार्थ:** राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि भितदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जातिया धर्म जैसे सामुदायिक हितों से प्रभावित होकर मतदान करता है।

■ **बाहुबल और धन का उपयोग:**

- गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिये वे दल के चुनावी अभियान में अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है।
- इसके अलावा कभी-कभी मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि सभी प्रतिसिपर्द्धी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि होती है।

राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव:

- **स्वतंत्र और नष्पिकष चुनाव के सिद्धांत के वरिद्ध:** यह एक उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने के संबंध में मतदाताओं की पसंद को सीमिति करता है।
 - यह स्वतंत्र और नष्पिकष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है जिससे लोकतंत्र का आधार माना जाता है।
- **सुशासन पर प्रभाव:** प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले बन जाते हैं, इससे सुशासन सुनिश्चित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता प्रभावित होती है।
 - लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अस्वस्थ प्रवृत्तियाँ भारत के राज्य संस्थानों की प्रकृति और इसके नरिवाचति प्रतनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती हैं।
- **लोक सेवकों की सत्यनष्ठा पर प्रभाव:** इससे चुनाव के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन भी बढ़ता है, जो बदले में समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाता है और लोक सेवकों के कामकाज को प्रभावित करता है।
- **सामाजिक वषिमता का कारण बनना:** इससे समाज में हिसा की संस्कृतिका प्रसार होता है और युवाओं के भवषिय के खलिवाड़ के साथ शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र में लोगों के वषिवास को कम करता है।

आगे की राह

- **चुनावों का राज्य वतितपोषण:** चुनाव सुधार पर बनी वभिनिन समतियों (दनिश गोस्वामी, इंदरजीत समति) ने **राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन कयि जाने** की सफिरशि की, जिससे काफी हद तक चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मलिंगी और परिणामस्वरूप राजनीति के अपराधीकरण को सीमिति कयि जा सकेगा।
- **चुनाव आयोग को सुदृढ बनाना:** एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया हेतु राजनीतिक पार्टियों के मामलों को वनियमिति करना आवश्यक है, जिसके लयि **नरिवाचन आयोग (Election Commission)** को मज़बूत करना ज़रूरी है।
- **जागरूक मतदाता:** मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार जैसे अन्य प्रलोभनों के प्रतिसितर्क रहने की आवश्यकता है।
- **न्यायपालिका की सकरयि भूमिका:** भारत के राजनीतिक दलों की राजनीति के अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानकारक प्रभावों को रोकने के प्रत अनच्छिा को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों को अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्त वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतबिंध लगाने जैसे फैसले पर वचिर करना चाहयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न: अक्सर कहा जाता है कि 'राजनीति' और 'नैतिकता' एक साथ नहीं चलते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? दृष्टांतों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2013)

प्रश्न: जन प्रतनिधित्व अधनियम, 1951 के तहत संसद या राज्य वधिनमंडल के सदस्य के चुनाव से उत्पन्न वविादों को तय करने के लयि प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजयि। ऐसे कौन से आधार हैं जनि पर किसी भी उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषति कयि जा सकता है? नरिणय के वरिद्ध पीड़ति पक्ष के पास क्या उपाय उपलब्ध है? केस कानूनों का संदर्भ लीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2022)

स्रोत: द हद्रि